



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 91) पटना, सोमवार, 26 मार्च 2012

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचनाएं
23 मार्च 2012

सं0 3/टेक-1003/07ऊ0-330—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम II, 1915) की धारा-90 की कंडिका (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार, राज्य में मदिरा के थोक व्यवसाय हेतु बिहार स्टेट विभरेजेज कारपोरेशन लि0, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2011-2012 में विशेषाधिकार की स्वीकृति के लिए 350,00,00,000 रुपये (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) की राशि विशेषाधिकार शुल्क के रूप में विहित करता है।

2. यह उनके द्वारा भुगतेय पूर्व से निर्धारित अनुज्ञाशुल्क की राशि के अतिरिक्त होगा।
3. यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से लागू होगी।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
उप-सचिव।

23 मार्च 2012

सं0 3/टेक-1003/07 अधिसूचना संख्या 330, दिनांक 23मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
उप-सचिव।

The 23rd March 2012

No. 3/TEK-1003/2007-330—In exercise of the powers conferred in clause (7) Section-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act II of 1915) the Board of Revenue, Bihar prescribes Rs. 350,00,00,000 (Rupees Three Hundred Fifty Crores) as the privilege

fee to be paid by Bihar State Beverages Corporation Ltd. Bihar, Patna for grant of exclusive privilege for whole sale business of liquor for the year 2011-12 in the State.

2. It will be in addition to the license fee already paid.
3. This notification shall come into force with immediate effect.

By order of the Board of Revenue,

Sd/- Illegible,

Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 91-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>